



प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand



Phone& Fax:-0135-253154/2531072

E-Mail-eicpwduk@nic.in

Website-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक:- 303 /76याता (क)-उ0/2018

दिनांक: 19 मार्च, 2018

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, मुख्यालय
सहस्रधारा रोड़, देहरादून।

विषय:- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 30.11.2017 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-6996 / प्रवर्तन / स0सु0/1-8 (3)/2018 दिनांक 12.दिसम्बर, 2017

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक पत्र से सम्बन्धित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश दिनांक 30.11.2017 का अनुपालन आख्या, इस कार्यालय के पत्रांक-278/76 याता(क)-उ0/2018 दिनांक 14.03.2018 द्वारा मय संलग्नक आपको प्रेषित की गयी है, कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

✓ मुख्य अभियन्ता स्तर-।(मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संज्ञानार्थ/सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय को संज्ञानार्थ प्रेषित।
- 2- अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
- 5- श्री आर0सी0अग्रवाल, नोडल अधिकारी (रोड सेफ्टी)/अधीक्षण अभियन्ता, 9वां वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
- 6- आई0टी0 सैल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड देहरादून को pwd.uk.gov.in की Road Safety Gallery में Upload करने हेतु।

मुख्य अभियन्ता स्तर-। (मुख्यालय)

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
सहस्रधारा रोड, कुल्हान, देहरादून।

फोन नं.0135 2608106 फैक्स नं-2608108

संख्या 6996/प्रवर्तन/स0सु0/1-8(3)/2017
सेवा में,

दिनांक: 12 दिसम्बर, 2017

- 1- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून।
- 2- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- आयुक्त, आबकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- महानिदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- आयुक्त, राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, यमुना कॉलोनी, देहरादून।
- 9- कमाण्डेन्ट, सीमा सुरक्षा संगठन, ऋषिकेश जिला-देहरादून।
- 10- रिजनल ऑफिसर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 58/37-बलवीर रोड,
डालनवाला, देहरादून।

विषय: मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 30-11-2017 का अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव, सड़क सुरक्षा समिति के पत्र संख्या-28/CoRS/2014 दिनांक 08-12-2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रस्तुत पत्र में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 30-11-2017 की सूचना प्रेषित करते हुये उक्त बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने और कृत कार्यवाही की आख्या दिनांक 15-04-2018 तक प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गई है।

अतः संदर्भित पत्र की प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की सूचना दिनांक 31-03-2018 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार संकलित सूचना मा0 समिति को प्रेषित की जा सके।

संलग्न-यथोक्त।

भवदीया,

(शुनीता सिंह)

अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या 6996 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1-8(3) / 2017 समदिनांकित

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— प्रमुख सचिव / सचिव, परिवहन / गृह / लोक निर्माण / शहरी / आबकारी / वित्त / शिक्षा / चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— सदस्य लीड एजेन्सी, सम्बन्धित विभाग।

(सुनीता सिंह)

अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।